

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक- 11
जुलाई, 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

1. नाम प्रतिभा सक्सेना
2. वर्तमान पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बरेली
3. वेतनमान 1,78,150/-
4. वर्तमान विभाग का नाम परिवार न्यायालय, जनपद बरेली।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम लोक सेवा आयोग, उ०प्र० (न्याय विभाग)
6. विज्ञप्ति की तिथि विज्ञापन संख्या-A-2/ई-1/2003 दिनांकित 15.11.2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26.05.2006
8. योगदान की तिथि 16.06.2006
9. जन्मतिथि 16.05.1981
10. सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2041

मैं प्रतिभा सक्सेना पत्नी श्री अभिषेक जौहरी शासनादेश संख्या - 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक- 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

Pratibha
05.09.2024
(प्रतिभा सक्सेना-II)

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कक्ष सं०-02, बरेली।

घोषणा पत्र

मैं प्रतिभा सक्सेना पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बरेली यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या -01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Pratibha
05.09.2024
(प्रतिभा सक्सेना-II)

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कक्ष सं०-02, बरेली।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती प्रतिभा सक्सेना पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बरेली को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

Kay
5/9/24
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
प्रधान न्यायाधीश
परिवारिक न्यायालय, बरेली

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।